

न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत खाखोली

पीठासीन अधिकारी- उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 2018/144

दायर दिनांक 11.05.2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शिवजीराम पुत्र नन्दाराम 2. तनसुख पुत्र नन्दाराम समस्त जाति जाट निवासी फोगडी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)		1. गोरधन पुत्र शिवराम जाति जाट निवासी फोगडी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 2. रमेश पुत्र आशाराम 3. मंगनीराम पुत्र आशाराम 4. केशरदेवी पत्नि आशाराम जाति ब्रह्मण निवासी फोगडी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 5. प्रभातीदेवी पत्नि स्व. श्रवण 6. मुकेश पुत्र स्व.श्रवण नाबालिग जरिये कुदरती वलिया प्रभातीदेवी पत्नि स्व. श्रवण 7. लक्ष्मण पुत्र स्व.श्रवण नाबालिग जरिये कुदरती वलिया प्रभातीदेवी पत्नि स्व. श्रवण समस्त जाति जाट निवासी फोगडी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 8. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरुस्ती बन्टवारा हस्ब

धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


उपस्थित :-

1. श्रीसमन्दरसिंह नाथावत अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री राजेश कुमार राखेचा अधिवक्ता प्रतिवादी।

--:: निर्णय ::--

दिनांक- 06.06.2018

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, मौजा फोगडी पटवार हल्का फोगडी की शहरद मे खेत ख.न. 306 रकबा 95 बीघा 08 बिस्वा, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 की सामलाती कब्जा काश्त की जमीन है।

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

उपरोक्त जमीन में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक गोर्धन व 1/4 हिस्सा वादीगण व उसके भाई श्रवण के नाम से दर्ज है। श्रवण फौत हो चुका जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 है। तथा 1/4 हिस्सा आशाराम पुत्र गोपीराम के नाम से दर्ज है। आशाराम पुत्र गोपीराम फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 है।

खसरा नम्बर 306 रकबा 95 बीघा 08 बिस्वा पहले 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक का भाई दुदाराम के नाम से दर्ज थी। उपरोक्त खेत का प्रतिवादी संख्या एक व उसका भाई दुदाराम ने आपस में मौखिक बन्तवारा कर 1/2 उत्तरी हिस्सा अर्थात 47 बीघा 14 बिस्वा प्रतिवादी संख्या एक के बन्त व कब्जा काश्त में रखा व 1/2 दक्षिणी हिस्सा अर्थात 47 बीघा 14 बिस्वा प्रतिवादी संख्या एक के भाई दुदाराम के बन्त व कब्जा काश्त में रखा।

प्रतिवादी संख्या एक का भाई दुदाराम ने अपने हिस्से की 1/2 दक्षिणी हिस्सा अर्थात 47 बीघा 14 बिस्वा में से 27 बीघा 14 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 के पुर्वज आशाराम को बैचाण कर दिया व शेष 20 बीघा जमीन वादीगण व उसका भाई श्रवण के पिता नन्दाराम को बैचाण कर दिया। मगर राजस्व अधिकारियों ने उपरोक्त खतौनी में 1/4 हिस्सा वादीगण व उसके भाई श्रवण के नाम दर्ज कर दी जिसको दुरुस्त किया जाना न्याय संगत है। मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 का कब्जा काश्त 20 बीघा जमीन पर ही है।


वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 राजीकुशी उपरोक्त सामलाती खरीदा हुआ खेत ख. न. 306 रकबा 95 बीघा 08 बिस्वा जमीन का बैचाण के अनुसार बन्तवारा कर अलग-अलग काश्त करने लग गये थे। तब से ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 के बन्त में मौजा फौगडी के खेत ख. न. 306 रकबा 95 बीघा 08 बिस्वा में से नजरी नक्शे के अनुसार 20 बीघा भूमि बन्त व कब्जा काश्त में आई हुई है। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 07 ने अपने बन्त की 20 बीघा जमीन के तीन बन्त कर अपने-अपने हिस्से पर काश्त करते हैं। तथा अपने काश्त की जमीन में पैड़-पौधे व खाद आदि डाल कर व चारो और सीवें निवे डाल कर उपजाउ बना रखा है। जिसको वादीगण ने अपने नजरी नक्शा अनुसूची 'क' में बन्तवारे के अनुसार अपने बन्त को दर्शाया गया है। उक्त नजरी नक्शा अनुसूची 'क' दावे का अहम भाग है। बन्त निम्न प्रकार है:-

(क) वादी संख्या एक शिवजीराम के बन्त व कब्जा काश्त का खेत :-  
मौजा फौगडी के खेत ख. न. 306 रकबा 95 बीघा 08 बिस्वा में से 06 बीघा 09 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

(ख) वादी संख्या दो तनसुख के बन्त व कब्जा काश्त का खेत :-

मौजा फौगडी के खेत ख. न. 306 रकबा 95 बीघा 08 बिस्वा में से 06 बीघा 09 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार  
(ग) प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 प्रभातीदेवी मुकेश लक्ष्मण के बन्त व कब्जा काश्त का खेत :-

मौजा फौगडी के खेत ख. न. 306 रकबा 95 बीघा 08 बिस्वा में से 06 बीघा 09 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

(घ)प्रतिवादी संख्या एक गोरधन के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :-  
मौजा फौगडी के खेत ख. न. 306 रकबा 95 बीघा 08 बिस्वा में से 47  
बीघा 14 बिस्वा उत्तरी हिस्सा नजरी नक्शा के अनुसार

(ङ)प्रतिवादी संख्या दो ता पाँच रमेश मंगनीराम केशरदेवी के बन्ट व  
कब्जा काश्त का खेत :-

मौजा फौगडी के खेत ख. न. 306 रकबा 95 बीघा 08 बिस्वा में से 27  
बीघा 14 बिस्वा बीच का हिस्सा नजरी नक्शा के अनुसार

(च)नजरी नक्शे के अनुसार मौजा फौगडी के खेत ख. न. 306 रकबा 95  
बीघा 08 बिस्वा में से 13 बिस्वा जमीन वादीगण व प्रतिवादीगण 05 ता 07  
के आने जाने हेतु सामलाती खातेदारी में रास्ते हेतु छोड़ी गई है जो नजरी  
नक्शे के अनुसार 12 फुट गाडी रास्ता कायम रहेगा।उक्त रास्ते की जमीन  
वादीगण व प्रतिवादीगण 05 ता 07 के सामलाती खातेदारी की रहेगी।

इस प्रकार मौके पर कब्जा काश्त व बढेरो के बन्ट के अनुसार कुल जमीन  
के उपरोक्त अनुसार अलग-अलग भाग किये हुए है। नजरी नक्शा  
अनुसूची „क,,पेश है। जो इस वाद का अहम भाग है। नजरी नक्शे में  
प्रत्येक खरीददार के बन्ट में आई जमीन को दर्शाया गया है।इसी अनुसार  
मौके पर कब्जा काश्त है।


मौजा फोगडी पटवार हल्का फोगडी की शहरद में खेत ख.न. 306 रकबा  
95 बीघा 08 बिस्वा, जमीन नजरी नक्शा के अनुसार भूमि वादीगण के बन्ट  
व कब्जा काश्त में होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 का नाम  
सामलाती खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादीगण जमीन बैचने के फिराक में  
होने पर व वादीगण द्वारा राज्य सरकार से समय -समय पर मिलने वाली  
योजना का लाभ नहीं उठा सकने के कारण वादीगण के जायज खातेदारी  
अधिकार खतरे में पड. गये है।वादीगण अपने बन्ट की जमीन वाद के पद  
संख्या 05 के अनुसार जमीन अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी है।

बन्टवारा प्रतिवादी स.01 करने से इनकार होने व मामला अचल सम्पति का  
है। खेत पर वादीगण का बैचाण से खरीदी के वक्त से कब्जा काश्त है।  
जमीन बाई मिटस एण्ड वाउण्डस से बन्टी हुई नहीं होने से वादीगण की  
जमीन की सीव मौके पर कायम करनी जरूरी हो गई है इस लिए  
वादीगण अपने बन्ट व खरीदी हुई जमीन का बन्टवारा कराने हेतु बन्टवारा  
का दावा पेश करते है।

उपरोक्त खेत के खातेदार प्यारादेवी पत्नि नन्दाराम फौत हो चुकी  
है जिसके वारिसान पहले से खातेदार व रेकर्ड पर है।तथा खातेदार  
आशाराम पुत्र गोपीराम फौत हो चुके है जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या  
05 ता 07 है।और आशाराम की कब्जे काश्त की जमीन पर काबिज है।

प्रार्थना वादीगण है कि

वाद की डिकी बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04  
इस अमर की सादर फरमाई जावें कि मौजा फोगडी पटवार हल्का फोगडी

  
सहायक कलेक्टर  
डीउयाना (नागौर)

की शहरद मे खेत ख.न. 306 रकबा 95 बीघा 08 बिस्वा, की खातेदारी वाद के पद संख्या 05 में वर्णित बन्ट व कब्जा काश्त व वादीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसूची „क,, के अनुसार अलग-अलग घोषित किया जाकर उपरोक्त खेत के खातेदार प्यारादेवी पत्नि नन्दाराम व आशाराम पुत्र गोपीराम का नाम खातेदारी से हटाया जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरुस्ती फरमाई जावे।

मौजा फोगडी पटवार हल्का फोगडी की शहरद मे खेत ख.न. 306 रकबा 95 बीघा 08 बिस्वा,का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बन्टवारा वाद के पद संख्या 05 व नजरी नक्शा के अनुसार जमीन का बन्टवारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के बीच बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 का हिस्सा व कब्जा काश्त की जमीन राजस्व रेकर्ड मे अलग-अलग से बन्ट में दिलाने का आदेश फरमाया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत बाबत जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनांक 06.06.2018 को वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 ने न्यायालय में राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 द्वारा पेश किये गये राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकारान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री संमदरसिंह नाथावत ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार राखेचा ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

**:-आदेश:-**

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा फोगडी पटवार हल्का फोगडी की शहरद मे खेत ख.न. 306 रकबा 95 बीघा 08 बिस्वा, की खातेदारी राजीनामा, में वर्णित बन्ट व कब्जा काश्त व पक्षकारान द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसूची „क,, के अनुसार अलग-अलग घोषित किया जाकर उपरोक्त खेत के खातेदार प्यारादेवी पत्नि नन्दाराम व आशाराम पुत्र

**सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)**

गोपीराम का नाम खातेदारी से हटाया जाकर तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती की जाती है। राजीनामा, मय नजरी नक्शा अनुसूची „क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री पचा जारी हो।

  
(उत्तमसिंह शेखावत)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नक्शे)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को कोर्ट केम्प खाखोली में सुनाया गया।

  
(उत्तमसिंह शेखावत)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नक्शे)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खाखोली

राजस्व वाद संख्या: 2018/144

दायर दिनांक 11.05.2018

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. शिवजीराम पुत्र नन्दाराम 2. तनसुख पुत्र नन्दाराम समस्त जाति जाट निवासी फोगडी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	1. गोरधन पुत्र शिवराम जाति जाट निवासी फोगडी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 2. रमेश पुत्र आशाराम 3. मंगनीराम पुत्र आशाराम 4. केशरदेवी पत्नि आशाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी फोगडी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 5. प्रभातीदेवी पत्नि स्व. श्रवण 6. मुकेश पुत्र स्व.श्रवण नावालिंग जरिये कुदरती वलिया प्रभातीदेवी पत्नि स्व. श्रवण 7. लक्ष्मण पुत्र स्व.श्रवण नावालिंग जरिये कुदरती वलिया प्रभातीदेवी पत्नि स्व. श्रवण समस्त जाति जाट निवासी फोगडी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 8. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना


दावा बाबत

घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरुस्ती बन्टवारा हस्व

धारा 88,53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 06.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री संमदरसिंह नाथावत अधिवक्ता वादीगण की ओर से व श्री राजेशकुमार राखेचा अधिवक्ता प्रतिवादीगण मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा फोगडी पटवार हल्का फोगडी की शहरद मे खेत ख.न. 306 रकवा 95 बीघा 08 बिस्वा, की खातेदारी राजीनामा, में वर्णित बन्ट व कब्जा काश्त व पक्षकारान द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसूची „क,, के अनुसार अलग-अलग घोषित किया जाकर उपरोक्त खेत के खातेदार प्यारादेवी पत्नि नन्दाराम व आशाराम पुत्र गोपीराम का नाम खातेदारी से हटाया जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरुस्ती की जाती है।राजीनामा,मय नजरी नक्शा

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)


अनुसूची „क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....  
 ....-.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 कैम्प कोर्ट खाखोली में जारी की गयी।

  
 सहायक कलेक्टर  
 सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (नागौर)  
 डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
 सहायक कलेक्टर  
 सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (नागौर)  
 डीडवाना